मिसिल संख्या 11014/1/2009-डब्ल्यू.3
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
******

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक 12 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - सामान्य पूल रिहायशी आवास, टाईप- I में परिवर्धन/परिवर्तन।

यह उल्लेख किया जाता है कि टाइप-II से टाइप-IV के क्वार्टरों में परिवर्धन/परिवर्तन के मानदण्ड पहले से ही मौजूद हैं और टाइप-I के क्वार्टरों में परिवर्धन/परिवर्तन के मानदण्ड तय करने की मांग भी की जाती रही है। अब यह निर्णय लिया गया है कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, संबंधित आबंटियों की सहमति से क्वार्टरों की संख्या के क्रमानुसार, सामान्य पूल रिहायशी आवास के टाइप-I क्वार्टरों में नि:शुल्क विनिर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेष मामलों में, मुख्य अभियंता, लिखित में कारण दर्ज करने के उपरांत, बिना बारी के आधार पर क्वार्टरों के स्वस्थाने उन्नयन की अनुमति दे सकता है। परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमेय सिविल और इलेक्ट्रिकल मदों/ निर्माण कार्यों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. परिवर्धन/परिवर्तन का ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आबंटित क्वार्टरों में संरचनागत परिवर्तन होता है। इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का निर्णय अंतिम होगा कि किसी आबंटी द्वारा जिस परिवर्धन/परिवर्तन का अनुरोध किया गया है, उसकी प्रकृति संरचनागत है अथवा नहीं।

3. निर्धारित विनिर्देश के अनुसार, किसी आवास में परिवर्धन/परिवर्तन का निर्माण कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवास का दखल सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

(सूरत सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारतीय महालेखाकार (सीएजी), बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक (निर्माण), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
5. संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6. संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, शहरी विकास, नई दिल्ली।
3. प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास), नई दिल्ली।
5. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव।
6. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी डेस्क/अनुभाग।
7. निदेशक (एनआईसी) को मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

	अनुबंध
टाइप-I के सामान्य पूल रिहायशी आवास क्वार्टरों के उन्नयन हेतु विनिर्धारित विनिर्देशन (नि:शुल्क)	
क्र.सं.	**मद का विवरण**
	क. <u>सिविल निर्माण कार्य</u>
1.0	**<u>रसोईघर</u>**
	1.1 सामान्य:
	1.1.1 चिमनी हटाना, जहां लगी हो।
	1.1.2 रसोईघर और प्रसाधनों में कनेक्टेड नल-साजी कार्य सहित अतिरिक्त लोफ्ट टैंक प्रदान कर प्रति डीयू 1500 लीटर की जल भंडारण क्षमता का परिवर्धन
	1.2 रसोईघर में सिंक:
	1.2.1 रसोईघर में जल निकासी बोर्ड रहित सिरेमिक सिंक।
	1.3 पेनल:
	1.3.1 कार्य करने के प्लेटफार्म के ऊपर और उसके आस-पास 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और रसोईघर के सिंक से नीचे चमकीली टाईलें (8"x8" आकार)।
	1.4 ऊपरी सतह:
	1.4.1 हरे रंग का संगमरमर- पहले से कोने से गोलाकार, पॉलिश किया हुआ।
	1.5 फर्श:
	1.5.1 सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (8"x8" आकार मैटफिनिश), मौजूदा फर्श पर टाईल्स बिछाना।
2.0	**<u>शौचालय और स्नानागार:</u>**
	2.1 वॉश बेसिन और दर्पण:
	2.1.1 उपलब्ध स्थान के अनुसार उपयुक्त स्थान पर एक पिलर टेप के साथ एक वॉश बेसिन।
	2.1.2 गीजर लगाना।
	2.2 फर्श बिछाना और डीएडीओ:
	2.2.1 फर्श बिछाना
	2.2.1.1 अनुमोदित डिजाइन वाली सिरेमिक फ्लोर टाईल(8"x8" आकार मैटफिनिश)।
	2.2.1.2 पेनल- दरवाजे के निर्मित स्तर तक सफेद सिरेमिक की चमकीली टाईल (8"x8" आकार मैटफिनिश)।

3.0	**<u>शयनकक्ष/बैठक</u>**
	3.1 कमरों व आंतरिक क्षेत्रों में फर्श बिछाना
	3.1.1 अनुमोदित डिजाइन वाली धूसर/मटमैला रंग की सिरेमिक फ्लोर टाईल(8"x8" आकार मैटफिनिश)।
4.0	**<u>सामान्य आवाजाही क्षेत्र और सीढ़ियां-</u>**
	4.1 सामान्य आवाजाही क्षेत्र में कोटा पत्थर का फर्श और इससे मेल खाती किनारी। सीढ़ियों में, पूर्व में कोनों को गोलाकार किए पहले से तैयारशुदा एक पीस वाले कोटा स्टोन स्लैब।
5.0	**<u>अन्य जुड़नार और सुविधाएं:-</u>**
	5.1 पर्दे की रॉड, ब्रेकिट सहित।
	5.2 खिड़कियों के लिए, स्टील के पुर्जों सहित वॉयर गॉज।
6.0	**<u>आंतरिक फिनिशिंग</u>**
	6.1 कलर वॉश के बाद सभी दीवारों और सीलिंग की मरम्मत (केवल एक बार)। लकड़ी और स्टील के सभी कार्यों पर सिंथेटिक एनेमल पेंट।
	ख. **<u>इलेक्ट्रिकल कार्य</u>**
1.0	1.1 रसोईघर और शयनकक्ष, दोनों में से प्रत्येक में एक पावर प्वाइंट (डीपी-एमसीबी टाइप), कुल दो पावर प्वाइंट।
2.0	2.1 रसोईघर और डब्ल्यूसी के लिए एक वातायन पंखे- कुल दो पंखे।